संख्या–4180 /III(2)/17–46(सामान्य)/2013

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 29 दिसम्बर, 2017

विषयः– जनपद टिहरी गढवाल में डोबरा–चांठी भारी वाहन सेतु निर्माण हेतु कन्सल्टैंसी कार्यों की पुनरीक्षित स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में जनपद टिहरी गढवाल में डोबरा–चांठी भारी वाहन सेतु निर्माण हेतु कन्सल्टैंसी कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संः–5763/III(2)/14–46(सामान्य)/20135 टी. सी. दिनांक 16.10.2014 एवं शासनादेश संः––6199/III(2)/14–46(सामान्य)/2013 दिनांक 21.11.2014 के द्वारा ₹ 10,72,92,880.00 (रू0 दस करोड़ बहत्तर लाख बयानब्बे हजार आठ सौ अस्सी मात्र) की प्रदान की गई है।

2– उक्तानुसार प्रदत्त स्वीकृति के पश्चात कन्सल्टैंट के संयुक्त उपक्रम के साथ अधीक्षण अभियन्ता, आठवां वृत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी ने कन्सल्टैंसी कार्य के अनुबन्ध संख्या–09/SE–8/2014–15 दिनांक 07.11.2014 के द्वारा कुल 27 माह अवधि हेतु अनुबन्ध गठित किया गया। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 15.11.2014 व कार्य समाप्ति की तिथि 14.02.2017 निर्धारित थी। कन्सल्टैंट द्वारा अवशेष कार्यों हेतु गठित डी0पी0आर0 पर शासन में प्रस्तुतीकरण के पश्चात डोबरा–चांठी पुल निर्माण के अवशेष कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु शासनादेश संख्याः–7666/III(2)/15–46 (सामान्य) /13 दिनांक 21.10.2015 के द्वारा ₹ 14994.55 लाख मात्र (रू0 एक सौ उनपचास करोड़ चौरानब्बे लाख पचपन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। जिसके क्रम में अनुबन्ध सं0 15/SE–8/2015–16 दिनांक 25.01.2016 के द्वारा अनुबन्ध गठित कर दिनांक 12.02.2016 से कार्य प्रारम्भ हुआ। इस प्रकार कन्सल्टैंसी कार्य का Construction– Quality Managemnet Phase वास्तव में दिनांक 12.02.2016 से (डिजाइन कार्य समाप्त होने के लगभग 06 माह पश्चात) आरम्भ हुआ।

3. निर्माण कार्य हेतु गठित अनुबन्ध के कार्यों को पूर्ण किये जाने की अवधि 18 माह अर्थात दिनांक 11.08.2017 लक्षित की गयी थी, परन्तु स्थल की परिस्थितियों, पुल की सुरक्षा हेतु विशेषकर टावर रैट्रोफिटिंग कार्य में काफी नये प्राविधान प्रस्तावित किये जाने, कार्य स्थल पर औसत 3 बजे से 5 बजे की अवधि में अत्यधिक हवा का बहाव होने से कार्य बाधित होने, पुल की लॉचिंग हेतु अन्तर्राष्ट्रीय कन्स्ट्रक्शन इंजीनियर द्वारा पुल की लॉचिग का कार्य Saddle set back system में सुरक्षित न होने के कारण Tower back stretching system develop करने एवं इस हेतु पूर्व निर्मित टावर के बेस व कार्नर की necessary Retrofitting proposal किये जाने के कारण टावर रेट्रोफिट का कार्य पूर्ण होने मे विलम्ब हुआ है। जिसके फलस्वरूप कन्सल्टैंट द्वारा कैटवॉक की लॉचिंग तथा पुल की लॉचिंग हेतु हॉलेज आदि कार्य स्थगित किया गया।

04. वर्तमान में पुल के निर्माण का कार्य पूर्ण किये जाने की लक्षित अवधि दिनांक 11.08.2017 से दिनांक 31.03.2018 एवं मार्च के पश्चात 03 माह अर्थात माह जून, 2018 की अवधि Post construction activity हेतु लक्षित की गयी है। जिस कारण कन्सल्टैंसी कार्यों में भी अधिक समय लग रहा है। कन्सल्टैंसी कार्य हेतु स्वीकृत समय से अधिक समय लगने तथा International एवं National key person का टाइम इनपुट बढने के कारण यह पुनरीक्षित आगणन डोबरा चांठी परियोजना सलाहकार समिति की दिनांक 04.05.2017 को आहूत बैठक पश्चात प्रमुख अभियन्ता द्वारा जारी किये गये कार्यवृत्त के अनुपालन में गठित कर शासन को उपलब्ध कराया गया है।

05. अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत कन्सल्टेन्सी कार्यों हेतु पूर्व स्वीकृत धनराशि ₹ 10,72,92,880.00 में कन्सल्टैंसी कार्य पूर्ण न हो पाने के फलस्वरूप मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, टिहरी गढवाल द्वारा विभागीय तकनीकी परीक्षणोपरान्त वर्तमान में शासन को उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन, जिसकी औचित्यपूर्ण पाई गई सम्पूर्ण धनराशि ₹ 15.36 करोड़ (₹ 4.63 करोड़ अतिरिक्त लागत + ₹ 10.73 करोड़ पूर्व स्वीकृत लागत) है, की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की पुनरीक्षित स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैंः–

(i)– उक्त पुनरीक्षित स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि शासनादेश संः–5763/III(2)/14–46(सामान्य)/2013 टी.सी. दिनांक 16.10.2014 एवं शासनादेश संः–6199/III(2)/14–46(सामान्य)/2013 दिनांक 21.11.2014 द्वारा पूर्व स्वीकृत लागत ₹ 10.73 करोड को, प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 15.36 करोड़ से घटाते हुए, अतिरिक्त लागत ₹ 4.63 करोड में कन्सल्टैन्सी से सम्बन्धित समस्त कार्यो को पूर्ण करा लिया जायेगा। पूर्व स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कोई धनराशि, आवंटन के पूर्व व्यय कर दी गई हो अथवा अवशेष हो तो उस धनराशि को स्वीकृत लागत से समायोजित करके अवशेष धनराशि ही उक्त कार्यो पर अवमुक्त की जायेगी। इसके अंतिरिक्त अब उक्त कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि किसी भी दशा में स्वीकृत नही की जायेगी। शासनादेश दिनांक 16.10.2014 एवं 21.11.2014 केवल उक्त अनुमन्य सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

(ii)– इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 तथा बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय लोक निर्माण विभाग के अनुदान संः–22 लेखाशीर्षक–3054 सड़क तथा सेतु–04 जिला तथा अन्य सड़कें–337 सडक निर्माण कार्य–03 अनुरक्षण एवं मरम्मत–**0309 परियोजना संरचना/परीक्षण/गुणवत्ता/कन्सल्टेन्सी आदि**–16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद **(3054–80–800–03–04 से स्थानान्तरित)** से निवर्तन पर रखी गई धनराशि से, आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

7– **यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–564/XXVII/(2)/2017 दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा हैं।**

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव

4180
संख्याः– (1)/ III(2)/17–46(सामान्य)/2013 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त गढवाल मण्डल, पौडी।
4. जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल।
5. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, टिहरी गढवाल।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढवाल।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, डोबरा–चांठी परियोजना कियान्वयन ईकाई, लो0नि0वि0, टिहरी।
9. परियोजना प्रबन्धक, डोबरा–चांठी परियोजना कियान्वयन ईकाई, लो0नि0वि0, टिहरी।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव